

न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं:-16

प्रवेश दिनांक 25.05.2021

निर्णय दिनांक 05.08.2021

उपनाम

1.राजस्थान सरकार जारिये पटवारी हल्का सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1.पदमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत

2.रत्तीराम पुत्र नत्भूराम जाति गुर्जर

निवासीयान ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृत्तान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का सुरेर द्वारा ग्राम सुरेर के आराजी ख0 नं0 135/0.35 है0 में से रकबा 0.0254 है0 किस्म चाही 1 खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान पदमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत रत्तीराम पुत्र नत्भूराम जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा आराजी ख0न0 135/0.35 है0 में से रकबा 0.0254 है0 किस्म चाही1 भूमि में दुकानो का निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपानन्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः पदमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत रत्तीराम पुत्र नत्भूराम जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा आराजी ख0 नं0 135/0.35 है0 में से रकबा 0.0254 है0 किस्म चाही1 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकानो का निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 3.85 रूपये का पचास गुणा राशि 193.00/- रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायगी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। चूंकि गैरसायलान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृती उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तों के



तहसीलदार
राजगढ (अलवर)

उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तों का कृत उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ़
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पत्र संख्या 11 पत्र दिनांक 193/-
का कार्यभार किये गये।
त. रा. लेखाकार